



कार्यालय बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर

क्रमांक-बीडीए/आयोजना शाखा/2025-28/

दिनांक:-

श्रीमती सुनिता आर्य पत्नी श्री राधेश्याम आर्य
श्रीमती अर्चना मेहता पत्नी श्री जितेन्द्र मेहता
श्रीमती सरला देवी पत्नी श्री परमेश्वरलाल स्वामी
श्रीमती सरस्वती पत्नी श्री भूराराम
श्रीमती क्रान्ती स्वामी पत्नी श्री सोमेश्वर स्वामी
श्री देवेन्द्र स्वामी पुत्र श्री द्वारका प्रसाद स्वामी
निवासीगण- बीकानेर।

विषय:- ग्राम चकगर्बी के खसरा नं. 1055/365 में स्थित तादादी 1.69 हैक्टेयर भूमि में
आंतरिक विकास की समयावधि बढ़ाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा प्राधिकरण कार्यालय में खसरा सं. 1055/365 में आंतरिक विकास कार्य की समयावधि विस्तार किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत योजना का ले-आऊट मानचित्र स्वीकृति आदेश पत्र क्रमांक-11851 दिनांक-10.07.2023 को स्वीकृत किया जा चुका है। राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी-2010 (10 हैक्टेयर तक) के बिन्दू सं. 12 (अ) टेबल सी के अनुसार 2 हैक्टेयर तक की आवासीय योजना में आंतरिक विकास का कार्य पूर्ण करवाने हेतु 18 माह का समय निर्धारित है, साथ ही निर्देशित किया गया है कि स्थानीय निकाय द्वारा प्रचलित रूपान्तरण/नियमन शुल्क का 10 प्रतिशत शास्ति के रूप में वसूल करते हुए आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करने की अवधि को दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 15.10.2025 के अनुसार 20 प्रतिशत वार्षिक शास्ति लेते हुए आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करने हेतु समयावधि में विस्तार किये जाने के निर्देश है। यह योजना 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्र की है। तथा योजना में आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करने की अवधि 18 माह पूर्ण हो चुकी है।

प्रकरण में सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् आप द्वारा प्रचलित रूपान्तरण/नियमन शुल्क का 20 प्रतिशत शास्ति के रूप में कुल राशि 7,74,218/- जरिये आर.टी.जी.एस. दिनांक 03.12.2025 जमा है। अतः योजना के अनुमोदित मानचित्र अनुसार योजना में आंतरिक विकास कार्य की समयावधि योजना अनुमोदन तिथि के 18 माह के पश्चात् से दो वर्ष तक की बढ़ाई जाती है।

सचिव
बीकानेर विकास प्राधिकरण
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Kulraj Meena
Designation: Secretary
Date: 2025.12.09 11:05:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19266852

